स्वास्थ्य विभाग (बिहार सरकार)
के अधीन
राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में जूनियर रेजिडेन्ट के रिक्त पदों (टेन्योर एक वर्षीय) पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण

वर्ष-2023

विवरण-पुस्तिका

ऑन-लाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि : **12.05.2023**

LIST OF DOCUMENTS
प्रमाण पत्रों की सूची

क्र.सं.	अनुलग्नक - विवरणी	व्यक्ति / संस्थान / संगठन जहाँ से उसे प्राप्त करना है
1.	मैट्रिक / समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र / अंक पत्र जिससे आयु एवं पहचान प्रमाणित हो ।	सम्बन्धित बोर्ड / समकक्ष द्वारा निर्गत।
2.	*जाति प्रमाण पत्र	Non Creamylayer सहित चालू वित्तीय वर्ष में स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत।
3.	चरित्र प्रमाण पत्र	जिस संस्थान में अन्तिम रूप से नामांकित हो, उसके प्राचार्य।
4.	*आय प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार कॉउन्सेलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना है।)	स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत।
5.	Income & Assest Certificate to be produced by Economically Weaker Section (EWS) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र	Issued by concerned DM / SDM / CO of permanent resident in prescribed proforma.for Current Finaincial Year. स्थायी निवास के डी.एम./ एस.डी.एम./ सी.ओ. द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में निर्गत।
6.	हाल का खिचा गया फोटोग्राफ	स्वहस्ताक्षरित फोटो।
7.	बिहार के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र	स्थायी निवास के अंचाधिकारी द्वारा निर्गत।
8.	स्वतंत्रता सेनानियों का प्रमाण पत्र जिसमें यह स्पष्ट किया हो कि अभ्यर्थी से किस प्रकार का सम्बन्ध है।	सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत।
9.	दिव्यांगता कोटा (DQ) प्रमाण पत्र।	प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत।
10.	अनापत्ति प्रमाण पत्र।	नियंत्री पदाधिकारी का अनुशंसा एवं विभाग द्वारा निर्गत।
11.	विवरण पुस्तिका के अनुसार अन्य संबंधित प्रमाण पत्र।	सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत।

*** *NOTE* : To be furnished, wherever applicable.**

विवरण-पत्रिका

स्वास्थ्य विभाग (बिहार सरकार)
के अधीन
राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में जूनियर रेजिडेन्ट के रिक्त पदों (टेन्योर एक वर्षीय) पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण

----

1. स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-सं.सं.-17/विविध-01-280/2022-202(17) दिनांक 24.02.2023 के अधियाचना के आलोक में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में जूनियर रेजिडेन्ट के रिक्त पदों (टेन्योर एक वर्षीय) के लिए पैनल निमार्ण हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में Online आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

(क) **पदों की कोटिवार संख्या :** कुल पदों की संख्या-1551 हैं। जिसकी विवरणी निम्नवत् है;

क्रम	कोटि	रिक्ति की संख्या	महिला आरक्षण 35%
1.	अनारक्षित (UR)	547	191
	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (EBC)	327	91
	पिछड़ा वर्ग (BC)	169	54
	अनुसूचित जाति (SC)	296	82
	अनुसूचित जनजाति (ST)	19	5
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	137	41
	पिछड़े वर्गों की महिला (RCG)	56	0
2.	स्वतंत्रता संनारियों के पोता/ पोती/ नाती/ नातीनी के लिए आरक्षित (FF) (2%)	27	-
3.	विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित (DQ) (4%) :		
	(i) दृष्टि बाधित (VI)	14	-
	(ii) अस्थि दिव्यांग (OH)	13	-
	(iii) मूक बधिर (DD)	14	-
	(iv) मनोविकार दिव्यांगता (MD)	14	-

वेतनमान : टेन्योर पद पर नियुक्ति के उपरान्त योगदान की तिथि से जूनियर रेजिडेंट को 65000/- (पैसठ हजार) रुपया प्रति माह (मानदेय) अनुमान्य है। इसके अलावे किसी भी प्रकार का भत्ता / भविष्य निधि अथवा निवृत वेतन कोष लागू / देय नहीं होगा।

कर्त्तव्य : राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों मं चिकित्सीय कार्य ।

(ख) **शैक्षणिक योग्यता :**

भारतीय चिकित्सा परिषद / राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता / अनुमति प्राप्त एम.बी.बी.एस. डिग्री।

1.1 **राष्ट्रीयता :**

आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।

1.2 **आयु-सीमा :**

सामान्य प्राशासन विभाग के संकल्प संख्या-294 दिनांक 07.01.2016 के आलोक में निर्धारित उम्र की सीमा की गणना दिनांक 01.08.2022 के आधार पर की जायेगी ।

अधिकतम आयु - अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला)-40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)- 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)-42 वर्ष ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-212 दिनांक 23.01.2006 के आलोक में उम्र सीमा में देय छूट लागू नहीं होगी।

दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य होगा।

1.3 **आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति :**

(i) नियुक्ति के लिए ऑन-लाईन आवेदन भेजने की आरम्भिक तिथि तक निर्धारित / लागू आरक्षण संबंधी बिहार सरकार के नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा।

(ii) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को चालू वित्तीय वर्ष का क्रिमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा। क्रिमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र समर्पित नही करने पर वे अनारक्षित कोटि में माने जायेंगे।

(iii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष का होना अनिवार्य है।

(iv) जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं हैं वे उपरोक्त पद हेतु बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार आरक्षण-लाभ के लिए योग्य नहीं होंगे।

(v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में किसी भी आवेदन पर विचार भी नहीं किया जायेगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें Unreserved (UR) श्रेणी में माना जायेगा।

(vi) महिला / दिव्यांग / स्वतंत्रता सेनानियों के नाती / नतिनी / पोता /पोती को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण देय होगा।

1.4 **<u>दिव्यांग कोटा एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/ पोती / नाती / नतिनी के अन्तर्गत पदों का आरक्षण :-</u>**

निम्नलिखित दोनों आरक्षिण क्षैतिज होगा।

i. दिव्यांगजनों के लिए 55 पदें (किसी भी कोटि से 4%) आरक्षित हैं ।

ii. स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नतिनी के लिये 27 पदें (किसी भी कोटि से 2%) आरक्षित हैं ।

2. **टेन्योर पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तेः**

i. विवरण पुस्तिका के कंडिका-1(क) में वर्णित विवरणी के अनुसार रिक्तियाँ इस पैनल से भरी जायेगी।

ii. बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत नियमित चिकित्सक आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

iii. अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों को निम्नरूपेण मूल्यांकन हेतु आवंटित किया जायेगा-

(क) सभी एम0बी0बी0एस0 परीक्षाओं के प्राप्तांक के कुल योग के प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक पूर्ण प्रतिशत के लिए 0.8 अंक दिया जायेगा। (पूर्ण प्रतिशत 0.5 या इससे उपर को माना जाएगा)। **- अधिकतम 80 अंक**

विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राप्तांक की गणना विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट (एफ0एम0जी0ई0) के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके किया जायेगा।

(ख) स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा **- अधिकतम 20 / 10 अंक**

iv. जिन आवेदक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो, अथवा फौजदारी मुकदमा दायर हो, उनके मामले पर विचार नहीं किया जायेगा।

ix. चयनोपरान्त पदस्थापन सम्बन्धी विभाग का निर्णय अन्तिम होगा। अभ्यर्थियों द्वारा पदस्थापन सम्बन्धी कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

xii. कॉउन्सेलिंग हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नही होगा।

3. **मेधा सूचीः**

(i) कंडिका-2(iii) के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल लब्धांक (Total Marks Obtained)के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

(ii) दो या दो से अधिक उम्मीदवारों को प्राप्त होने वाले लब्धांक (Total Marks Obtained) बराबर होगा तो मेधाक्रम का निर्धारण निम्नलिखित विधि से किया जायेगा।

(क) जिस अभ्यर्थी का कंडिका-2.iii(ख) में अधिक अंक प्राप्त हुआ है, उनका मेधाक्रम उपर रहेगा। अगर फिर भी अनिर्णायक स्थिति हो तो

(ख) जिस अभ्यर्थी को MBBS Part-III परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त हुआ है, उसका मेधाक्रम उपर रहेगा। अगर फिर भी अनिर्णायक स्थिति हो तो

(ग) जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक हो उसका मेधाक्रम उपर रहेगा।

3. **साक्षात्कार शुल्क :**

Unreserved (UR) / EWS / EBC / BC / SC / ST / DQ : **Rupees 2250/- (Two thousand two hundred fifty).**

4. **Online आवेदन हेतु आवश्यक प्रक्रिया :** राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में जूनियर रेजिडेन्ट के रिक्त पदों (टेन्योर एक वर्षीय) के लिए पैनल निर्माण में सम्मिलित होने के लिये विवरण-पुस्तिका पर्षद के Website: bceceboard.bihar.gov.in से Download कर प्राप्त कर सकते हैं। **Online आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी पर्षद के उक्त वेबसाईट पर जा कर "Online Portal of Junior Resident under Health Dept." Link पर Click करने के पश्चात् "Apply for Junior Resident" Link पर Click करें। इसके उपरान्त आवेदन प्रपत्र भरने हेतु जो निर्देश (Instruction) दिखेगा, उसे अभ्यर्थी अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लें।**

i. Step-One (Registration) :

इस परीक्षा हेतु Registration (निबंधन) के लिए सारी सूचनाएँ (Information) Step-1 के अंतर्गत कम्प्यूटर के स्क्रीन पर दिखने वाले आवेदन प्रपत्र में सही-सही अभ्यर्थी द्वारा भरना होगा। अभ्यर्थी Registration करने के समय यह ध्यान रखें कि वे अपना ही email ID एवं Mobile No. का इस्तेमाल कर रहें हों, क्योंकि Registration से संबंधित सभी सूचनाएं उसी email ID एवं Mobile No. पर भेजा जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा दिये गये Mobile No. एवं email ID को सत्यापित करने हेतु उक्त दोनों पर अलग-अलग सत्यापन कोड (Verification Code) भेजा जाएगा, जिसे अभ्यर्थी द्वारा Registration करने के क्रम में सत्यापन कोड (Verification Code) डालकर सत्यापित करना होगा। Mobile No. एवं email ID के सत्यापन के बाद सफलतापूर्वक Registration हो जाने के उपरांत किसी भी परिस्थिति में Mobile No. एवं email ID का बदलाव नहीं किया जाएगा। सफलतापूर्वक Registration हो जाने के बाद अभ्यर्थी के Registered Mobile No. एवं email ID पर सफलतापूर्वक Registration हो जाने की सूचना प्राप्त होगी। इसके बाद अभ्यर्थी आवेदन को पूर्ण रूप से Online भर कर जमा करने हेतु अपने Account में login करेंगे जिसके लिए वे अपना Registered email ID तथा Regisration के क्रम में दिये गये Password को डालकर "Sign In" बटन पर click करें तथा आगे की प्रक्रिया को पूरा करें। Registration के क्रम में अभ्यर्थी अपने द्वारा दिये गये Password को गोपनीय रखें अन्यथा पर्षद किसी भी तरह की परेशानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। **अभ्यर्थी के द्वारा दिया गया email ID ही उनका User Name होगा।**

ii. Step-Two (Personal Information) :

सफलतापूर्वक Registration कर पुन: अपने Account में Login करने के उपरान्त कम्प्यूटर स्क्रीन पर Personal Information से संबंधित required entries पूरी तरह भरें एवं Submit & Continue बटन पर Click करें ।

iii. Step-Three (Upload Photo & Signature) :

Personal Information भरने के बाद अभ्यर्थी अपना उच्च कंट्रास्ट का रंगीन पासपोर्ट साईज फोटों एवं अपना हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर कम्प्यूटर स्क्रीन में दिये गये निर्देश के अनुसार Scan कर निर्धारित स्थान पर Upload करें । फोटो Placard के साथ (जिस पर आवेदक का नाम तथा फोटों खिंचवाने की तिथि अंकित हो) खिंचवाया हुआ ही प्रयोग में लाना आवश्यक है । निर्धारित स्थान पर फोटो एवं हस्ताक्षर Upload करने के बाद Submit & Continue बटन पर Click करें ।

iv. Step-Four (Educational Information) :

Scan किया हुआ फोटो एवं हस्ताक्षर Upload करने के बाद अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी सूचनाओं (Educational Information) को कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकतानुसार भर कर Submit & Continue बटन पर Click करें ।

v. Step-Five (Application Preview) :

Educational Information भरने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा दी गई सूचनाओं को अच्छी तरह जांच लें । यदि जांच के क्रम में Step-Two, Step-Three एवं Step-Four में दी गयी सूचना गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी अपने उस सूचना को Back to Edit बटन पर Click कर अपने Information को सुधार कर Submit & Continue बटन पर Click करें, ताकि आपके द्वारा पुन: दिये गये सूचनाएँ Update हो सकें।

भरे गए आवेदन प्रपत्र के Preview में सारी सूचनाएं सही है तो अपना Declaration देकर Confirm & Submit बटन पर Click करें, ताकि अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कर सकें ।

vi. Step-Six (Payment of Examination Fee) :

अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सारी प्रविष्टियों के Preview को देखकर Submit करने के बाद Proceed to Payment बटन पर Click कर कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवेदन शुल्क भरने के निर्देश के अनुसार Payment की प्रक्रिया को पूरी करें । जमा किये गये आवेदन शुल्क को लौटाया नहीं जायेगा।

आवेदन शुल्क जमा करने की निम्नांकित प्रक्रियाएं हैं ;

a. Online Payment : अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान Online यथा; क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग अथवा UPI के माध्यम से करना चाहते हैं तो वे कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे Payment Mode को Select कर क्रेडिट कार्ड

अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग अथवा UPI के माध्यम से करें । परीक्षा शुल्क जमा करने पर उसमें लगने वाली अतिरिक्त राशि (Processing Charge) का भुगतान अभ्यर्थी को ही करना पड़ेगा ।

b. **उपरोक्त विधियों से आवेदन शुल्क का भुगतान से संबंधित आवश्यक विवरणी निम्नवत् है;**

Unreserved (UR) / EWS / EBC / BC / SC / ST / DQ कोटि के उम्मिदवार के लिए **2250/-** (Two thousand two hundred fifty) रुपये की राशि आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा ।

vii. **Step-Seven (Download Hard Copy) :** पर्षद द्वारा निर्धारित तिथि एंव समय तक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गये आवेदन प्रपत्र की Hard Copy Download कर Print निकाल अपने पास सुरक्षित रख लें क्योंकि उसमें आपके द्वारा भरी गई सारी प्रविष्टियाँ एवं पर्षद द्वारा उपलब्ध कराया गया Registration No. होगा, जिसका उपयोग कॉउन्सेलिंग के समय या भविष्य में आपके द्वारा किया जा सकता है।

नोट : (a) Download किये गये आवेदन प्रपत्र की Hard Copy को पर्षद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रपत्र को कॉउन्सेलिंग के समय पर्षद को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, इसलिए अभ्यर्थी इस प्रपत्र को सुरक्षित रख लें।

(b) उपरोक्त सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद अन्तिम रूप से Online Application Form Submit करने के बाद Application Form में परिवर्तन / संशोधन का प्रावधान नहीं है।

(c) अभ्यर्थी कृपया नोट कर लें कि Application Form के Submission के बाद इसे न तो Withdraw किया जा सकेगा और न ही जमा किये गये परीक्षा शुल्क को लौटाने का अनुरोध ही स्वीकार किया जायेगा ।

(d) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिग व्यवधान के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा । अत: अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे ।

5. (i) यदि अभ्यर्थी को Online Application Form भरने के उपरांत पता चलता है कि आवेदन पत्र भरने में कोई सूचना / फोटो / हस्ताक्षर Upload करने में गलती हुई है तो उसे सुधार करने हेतु Edit करने का मौका दिनांक **14.05.2023** को दिया जाएगा।

(ii) Online Application Form में सुधार (Edit) केवल वैसे अभ्यर्थी ही कर सकते हैं, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक अपना Online Application Form पूर्ण रूप से भर का सफलतापूर्वक आवेदन शुल्क जमा कर दिया हो ।

(iii) अभ्यर्थी अपने Online Application Form में सुधार (Edit) करने हेतु Application के Home Page पर जाकर Sign In button को Click कर अपने email ID एवं Password को डालें एवं Submit बटन पर Click कर अपने Account में Login करें तथा आवश्यक सुधार कर Submit & Continue बटन पर Click करें, ताकि आपके द्वारा Edit किये गए Entries Update हो सके एवं पुन: Edited आवेदन प्रपत्र की Hard Copy Download कर Print निकाल अपने पास सुरक्षित रख लें।

6. **<u>सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर की नियुक्ति-2023 से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तिथियाँ :-</u>**

(i)	Online Registration Starting Date	: **29.04.2023**
(ii)	Online Registration Closing Date	: **12.05.2023**
(iii)	Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card / UPI and submission of the Online Application Form of Registered Candidate.	: **13.05.2023**
(iv)	Online Editing of Application Form	: **14.05.2023**
(v)	Proposed Date of Counselling / Document Verification	: To be notified later on
(vi)	Date of Publishing / Uploading of Final Merit List	: To be notified later on.

7. अपूर्ण रूप से भरा गया Online आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

8. **अन्य निदेश :**

i. अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टि अन्तिम एवं अपरिवर्तनीय होगी । किसी भी परिस्थिति में इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा।

ii. अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा । इसके लिए अभ्यर्थी पूर्णरूप से स्वयं जिम्मेवार होंगे ।

iii. किसी उम्मीदवार को कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए पात्रता / अपात्रता के बिन्दु पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद / स्वास्थ्य विभाग, बिहार का निर्णय अंतिम होगा।

iv. वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/ अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है।

v. किसी भी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत / अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।

vi. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बिना कारण बताये पदवार उपलब्ध रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

vii. विवरण–पुस्तिका (Prospectus) में उल्लिखित सम्बन्धित किसी भी नियम / सूचना / प्रावधान को संशोधित / विलोपित / परिवर्तित करने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद / स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को होगा। ऐसे संशोधन / विलोपन / परिवर्तन को कॉउन्सेलिंग से यथासाध्य पहले या कॉउन्सेलिंग के समय उम्मीदवार को सूचित कर दिया जायेगा।

viii. इस पैनल निर्माण के सम्बन्ध में किसी विवाद को, उच्च न्यायालय, पटना या पटना स्थित किसी न्यायालय में ही दायर किया जा सकेगा।

सूचना एवं पटना स्थित किसी न्यायालय में दायर वाद हेतु नोडल पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से वाद / प्रतिवाद दायर किया जा सकेगा।

ix. अगर भूलवश किसी आवेदक / उम्मीदवार को कॉउन्सेलिंग में आने की अनुमति मिल जाती है जो अन्यथा नहीं मिलनी चाहिए थी और अगर इस भूल का पता मेधा सूची में सम्मिलित होने के बाद या नियुक्ति के उपरान्त चलता है तो वैसे उम्मीदवार को मेधा सूची में सम्मिलित होने के बावजूद भी नियुक्ति से वंचित कर दिया जायेगा या नियुक्ति के उपरान्त भी सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदक उम्मीदवार का दावा / अधिकार अमान्य होगा।

x. अगर किसी आवेदक उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाता है तो इसके लिए उसे सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी ।

xi. मेधा सूची प्रकाशन के उपरान्त कॉउन्सेलिंग में मूल प्रमाण–पत्रों / अभिलेखों आदि की सघनता से जांच की जायेगी। अगर ऐसी जांच में नकली प्रमाण–पत्र होने या अन्य रूप से कदाचार में लिप्त होने का अगर किसी उम्मीदवार को दोषी पाया जायेगा तो उनकी उम्मीदवारी तत्क्षण रद्द एवं उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।